

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



एफ 40(14)ग्रावि / नरेगा / मैन्यूअल / 2010-11

जयपुर, दिनांक:

3/12/10

- 6 DEC 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ  
की योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या  
24.3 में निम्न प्रावधान है :-

- (i) ऐसे परिवार जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है, ऐसे पात्र परिवार  
100 रूपये के शपथ पत्र पर मय जमाबंदी की नकल, खसरा नक्शा ट्रेस के पटवारी  
द्वारा प्रमाणित उपरांत तकाशमा (बंटवारा) प्रस्तुत करने पर नियमानुसार योजनान्तर्गत  
लाभ ले सकेंगे।

उक्त पैरा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- (i) ऐसे परिवार जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है, के लाभार्थी द्वारा  
सादा कागज पर आवेदन पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी संबंध का उल्लेख  
करते हुये शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित करवाकर अपने खाते की नवीनतम जमाबंदी  
एवं नक्शा ट्रेस को संलग्न कर नियमानुसार योजनान्तर्गत लाभ ले सकेंगे।

भवदीय,

3/12/10  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम/द्वितीय,  
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता ईजीएस को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

3/12/10

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस